झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी0एम0पी0 संख्या–168 / 2019

1. उर्मिला देवी
2. कमला देवी ....याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. भारत संघ
2. परियोजना अधिकारी मधुबन, कोल वाशरी प्लांट, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, नादखरकी, जिला–धनबाद
3. क्षेत्र कार्मिक प्रबंधक, ब्लॉक–II क्षेत्र, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, नवागढ़, जिला–धनबाद
4. श्रीमती दुलारी देवी
5. सूरज दुसाध

.... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए : श्री प्रत्युष लाला, अधिवक्ता।
विपक्षी संख्या 1 से 3 के लिए : श्री शिवम उत्कर्ष सहाय,
श्री ए0के0 दास, अधिवक्ता का जे0सी0

क्म संख्या 06 **तिथिः 19.03.2021**

यह मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया है।

यह याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1881 / 2014 की पुनः स्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे दिनांक 11 मई, 2018 के आदेश द्वारा गैर–अभियोजन के वजह से खारिज कर दिया गया था।

12 फरवरी, 2021 के आदेश का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसके तहत सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से विपरीत पक्ष सं0 4 और 5 को नोटिस जारी किए गए थे। कार्यालय द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें जारी किए गए उक्त नोटिस विधिवत रूप से तामिल कर दिए गए हैं।

विपरीत पक्ष सं0 4 और 5 की ओरसे कोई भी उपस्थित नहीं होता है, जबकि विद्वान श्री शिवम उत्कर्ष सहाय, श्री ए0के0 दास के जे0सी0, विपरीत पक्ष सं0 1 से 3 की ओर से मौजूद हैं।

याचिकाकर्त्ताओं के साथ–साथ विपरीत पक्ष सं0 1 से 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और वर्तमान याचिका में बताए गए कारणों के मद्देनजर, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1881 / 2014 को इसकी मूल फाइल में एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के पक्ष में 2,000 / – कॉस्ट दिनांक 9 अप्रैल, 2021 तक जमा करने पर, पुनःस्थापित किया जाता है।

इस याचिका का निपटारा किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)